पत्रावली संख्या 02 सन् 2016 किस्म मुकदमा प्रा.पत्र धारा 136

दिपसिंह बगैराह बनाम सरकार जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़

आदेशिका	हस्ताक्षर
प्रार्थीगण श्री दिपसिंह पिता देवींग चदाणा चेनाजी पिता देवींग एवं उत्तरभुज पिता दोला चदाणा निवासी कड़िया द्वारा आराजी नंबर 853 व आराजी नंबर 854 की नक्शे में सही तरमीम कराने का तहसीलदार कुम्भलगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा जांच पटवारी हल्का कडिया एवं भू.अ. निरीक्षक सरदड़ा से करवाई जाकर समस्त रिकार्ड सहित नक्शे में सही तरमीम हेतु इस कार्यालय को भिजवाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् यह सिद्ध है कि वक्त पेमाईस (सेटलमेन्ट) में आराजी नंबर 853 रकबा 2.14.10 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है परन्तु नक्शे में रकबा 01.10.00 ही पैमुद है। व आराजी नंबर 854 रकबा 10.16.00 भूमि सेटलमेन्ट के समय देवींग दोला पिता भगा चदाणा सा. नेताजी की भागल म. देह के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु नक्शे मे रकबा 4.18.15 भूमि ही पैमुद है। जबकि दोनो आराजी नंबर रकबे अनुसार नक्शे में पैमुद होना चाहिये था जो नहीं हुआ है व प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है व उपयोग–उपभोग मे ले रहे है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित ट्रेस व रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शे में रकबा की सही तरमीम करने पर किसी भी आराजी नंबर की भूमि के नक्शे में व रकबे में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। जिससे उक्त दोनों नंबरो को जमाबंदी रकबे अनुसार प्रस्तावित ट्रेस अनुसार सही करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार कुंभलगढ़ की रिपोर्ट व अनुशंषा अनुसार प्रस्तावित ट्रेस अनुसार अंकन सही करने का आदेश दिया जाता है व प्रस्तावित ट्रेस की दो प्रमाणित प्रतियाँ पालना हेतु तहसीलदार कुंभलगढ़ को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़, जिला- राजसमन्द [मोहर: उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)]	